"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2019 — श्रावण 23, शक 1941

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-19/2015/XII . — खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख, धारा 15 की उप-धारा (4) एवं धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ख) **"प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति"** से अभिप्रेत है जिले के भीतर खदान अथवा खदानों के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि कलेक्टर के द्वारा अधिसूचित हो और खदान अथवा खदानों के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से जिले के बाहर प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हो;"

2. नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दद) **"न्यास निधि"** से अभिप्रेत है, जैसा कि नियम 20 में वर्णित है;"

3. नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(न) **"सूचीबद्ध संस्था"** से अभिप्रेत है ऐसी संस्था, जो कि पारदर्शिता प्रक्रिया के साथ जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद् द्वारा चयनित हो। उक्त संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, हितग्राहियों का चिन्हांकन (प्रत्यक्ष प्रभावित और अप्रत्यक्ष प्रभावित), परियोजना की निगरानी, न्यास योजनाओं एवं सामाजिक संपरीक्षा के विकास के लिए मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट तैयार करना अंतर्वलित होगा।"

4. नियम 10 में, सारणी में, -

(1) सरल क्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"4क	प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा के 10 सदस्य (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य

	(क) प्रत्येक ग्राम सभा से एक महिला सहित कुल दो सदस्य का ही नामांकन किया जायेगा। (ख) खनन क्षेत्र की ग्राम सभा के सदस्यों के अतिरिक्त, समीपस्थ ग्राम सभा के सदस्यों को नामांकन में प्राथमिकता दी जायेगी । (ग) प्रभावित क्षेत्र नगरीय क्षेत्र होने की स्थिति में, स्थानीय नगरीय निकाय के दो सदस्यों का नामांकन किया जायेगा। (घ) अनुसूचित क्षेत्र की दशा में, प्रत्येक न्यास के लिए ग्राम सभा के कुल नामांकित सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों को अनुसूचित जनजाति से नामांकित किये जायेंगे।''	

(2) सरल क्रमांक 21 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''22	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
23	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
24	कार्यपालन अभियंता, केडा	पदेन सदस्य
25	जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पदेन सदस्य''

4. नियम 12 में,–

(1) उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(1क) वार्षिक कार्य योजना शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी जो कि 5 वर्षीय विजन प्लान पर आधारित होगी, जो किसी जिले/ग्राम सभा से जुड़े प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के सर्वेक्षण पर आधारित हो। प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के चिन्हांकन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण किया जायेगा और आवश्यकतानुसार नागरिक सामाजिक संगठनों की सहायता ली जा सकेगी।''

(2) उप–नियम (2) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''परंतु यह कि वार्षिक योजना या बजट से किसी भी विचलन के मामले में, योजना/परियोजना को शासी परिषद् से कार्योत्तर अनुमोदन आगामी 6 माह के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होगा । ऐसे कार्यों का कुल व्यय, न्यास की वार्षिक अपेक्षित प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।''

(3) उप–नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

''(3क) सामाजिक संपरीक्षा ऐसे सूचीबद्ध संस्थाओं के माध्यम से कराई जायेगी, जो राज्य में मनरेगा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं/परियोजना के समरूप योजनाओं में सामाजिक संपरीक्षा के लिए राज्य शासन से अधिकृत और शासी परिषद द्वारा अनुमोदित हो।

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया दो चरणों में संपादित होगी। प्रथम चरण, प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकताओं के चिन्हांकन से संबंधित होगा और द्वितीय चरण, आवश्यकताओं से संबंधित कार्यो के कियान्वयन और गुणवत्ता से संबंधित होगा।''

(4) उप–नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा किया जाये, अर्थात :–

''(8) जिन जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की वार्षिक प्राप्ति रूपये 25 करोड़ या उससे अधिक हो, ऐसे जिलों के न्यास में सूचीबद्ध संस्था के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं विजन डॉक्यूमेंट हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण एवं सामाजिक संपरीक्षा कराई जायेगी। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की वार्षिक प्राप्ति रूपये 25 करोड से कम होने पर, प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं विजन डॉक्यूमेंट हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण एवं सामाजिक संपरीक्षा, जिलों में उपलब्ध संसाधनों/विशेषज्ञों के माध्यम से कराई जायेगी।''

6. नियम 14 में, तालिका में, सरल क्रमांक 17 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)
''18	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
19	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
20	कार्यपालन अभियंता, क्रेडा	पदेन सदस्य
21	जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पदेन सदस्य''

7. नियम 15 में, उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात्:–

''(3क) न्यास की गतिविधियों के लिए पांच वर्षीय मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट, सूचीबद्ध संस्था द्वारा संपादित सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया जायेगा । मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट का अनुमोदन शासी परिषद द्वारा किया जायेगा। मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट का निरीक्षण व्यवस्थापक के दिशा निर्देश पर किसी भी समय तृतीय पक्ष द्वारा करवाया जा सकेगा। आगामी वर्ष के लिए वार्षिक योजना प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी ।''

8. नियम 17 में, उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात्:–

''(4) राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।''

9. नियम 18 में, उप–नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात्:–

''(5) राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था से संबंधित पद संरचना का अनुमोदन करेगी।''

10. नियम 22 में,–

(1) उप–नियम (1) में, शब्द ''प्रभावित क्षेत्र के समग्र विकास हेतु'' के स्थान पर, शब्द ''प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के हित और लाभ तथा समग्र विकास हेतु'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(1क) न्यास निधि में प्राप्त राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर व्यय की जायेगी तथा शेष राशि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर व्यय की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में शासी परिषद के पूर्वानुमोदन से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि व्यय की जा सकेगी:

परन्तु यह कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य लोकहित से संबंधित ऐसी सेवायें/योजना/परियोजना, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों को उपलब्ध कराने हेतु अन्यत्र स्थापित किया जाना उनके बेहतर हित के लिए आवश्यक हो, पर शासी परिषद के अनुमोदन से निधि का उपयोग किया जा सकता हैं। ऐसे कार्यों में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के लोगों पर किया गया मान्य किया जाएगा।''

(3) उप–नियम (2) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''पेयजल हेतु सौर उर्जा आधारित परियोजना, वृहद पेयजल योजना/परियोजना में भौगोलिक स्थिति के अनुरूप आवश्यकतानुसार योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र/अन्य क्षेत्र के ग्रामों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।''

(4) उप–नियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''नदी तट एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन वृक्षारोपण, नदी/नालों (नरवा) के संवर्धन/संरक्षण संबंधी कार्य।''

(5) उप–नियम (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''शासकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के उन्नयन, यथा गहन चिकित्सा ईकाई से संबंधित सुविधाऐं, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना का सृजन एवं सभी आवश्यक उपाय।''

(6) उप–नियम (2) में, खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के परिवार के सदस्यों को नर्सिंग, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग, विधि, प्रबंधन, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास के लिए विश्व विद्यालय/शासकीय महाविद्यालयों/शासकीय संस्थाओं में शैक्षणिक शुल्क और छात्रावास शुल्क के भुगतान तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग क्लासेस/आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था।''

(7) उप–नियम (2) में, खण्ड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''कृषि उत्पादों के संग्रहण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण इकाई के प्रोत्साहन, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, वनोषधि प्रसंस्करण, कृषि के उन्नत तकनीकों के प्रयोग संबंधी कार्य, पशुओं के नस्ल सुधार, चारे की व्यवस्था, पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्य, गोठान विकास से संबंधित कार्य, मूल्य संवर्धन, फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज, किसान उत्पादक संगठन(एफपीओ) के कार्यों को प्रोत्साहन, किसान बाजार एवं किसानों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधित कार्य, खनन प्रभावित वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार एवं जीविकोपार्जन के उपाय, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी इत्यादि मोटे अनाज, दलहन–तिलहन का उत्पादन/रकबा बढ़ाने के उपाय, जैविक कृषि को प्रोत्साहन, फलदार वृक्षों का रोपण । ''

(8) उप–नियम (2) में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''वृद्धजनों के लिए सुविधा विस्तार एवं दिव्यांगों के कौशल विकास सह जीविकोपार्जन हेतु उपाय/कार्यक्रम, दिव्यांगों के लिए सुधारात्मक सर्जरी एवं यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।''

(9) उप–नियम (2) में, खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(ट) **सतत् जीविकोपार्जन**– प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय के आय एवं जीवन स्तर में सुधार संबंधी उपाय एवं जीविकोपार्जन के विभिन्न उपाय एवं क्षमता निर्माण, ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प, वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार संबंधी कार्य ।

(ठ) उप–नियम (2) से संबंधित कार्यों के लिये, शासन द्वारा स्वीकृत पद–संरचना के अनुरूप मानव संसाधनों जैसे चिकित्सक, पैरामेडिक्स, नर्सों और शिक्षकों आदि की अंतरपूर्ति की व्यवस्था के लिये ।"

(10) उप–नियम (3) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रो के अंतर्गत भौतिक अधोसंरचना जैसे कि समस्त प्रकार के भवन निर्माण, सड़को, पुलो, रेलमार्गो, जलमार्गो, विमान पत्तनो, औद्योगिक पार्को/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि के लिए न्यास निधि से अधिकतम 20 प्रतिशत राशि उपयोजित की जा सकेगी।"

(11) उप–नियम (3) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"लघु सिंचाई परियोजनायें, उद्वहन सिंचाई (सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना सहित), वाटर शेड (जल ग्रहण कार्यक्रम), प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में सतत् सिंचाई सुविधा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। "

(12) उप–नियम (3) में, खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(ड.) **सार्वजनिक परिवहन**– प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों और समितियों के माध्यम से परिवहन सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं का विस्तार।

(च) **सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण**– खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों/निवासियों के मूल सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिये उपाय ।

(छ) **युवा गतिविधियों को बढ़ावा–** खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामाजिक/शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन संबंधित कार्य।

(ज) न्यास निधि के अंतर्गत कियान्वित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं को बनाने और उसकी निगरानी के लिये ग्राम सभाओं की क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण।''

(13) उप–नियम (4), (5) एवं (7) का लोप किया जाये।

11. नियम 25 में, उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(1क) जिले में खनन से संबंधित संक्रियाओं, न्यास निधि में प्राप्तियाँ, न्यास निधि से व्यय, हितग्राहियों की सूची, न्यास में प्राप्त प्रस्ताव, न्यास द्वारा स्वीकृत कार्यों और न्यास में प्राप्त शिकायतों के लिये पृथक–पृथक पंजियों का संधारण व्यवस्थापक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार न्यास द्वारा किया जायेगा।''

12. नियम 26 में, उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(6) न्यास के कार्यों की निगरानी, आवश्यक परामर्श, मार्गदर्शन तथा केन्द्र एवं राज्य शासन के साथ समन्वय एवं अन्य आवश्यक कार्यों के संपादन हेतु राज्य स्तर पर जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ हेतु पद–संरचना एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति के अनुमोदन से दी जायेगी।''

13. प्ररुप–क में,–

(1) खण्ड 1 में, उप–खण्ड (1) में, पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**(ख)** ''**प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति**'' से अभिप्रेत है जिले के भीतर खदान अथवा खदानों के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि कलेक्टर के द्वारा अधिसूचित हो और खदान अथवा खदानों के समूह से खनन अथवा खनन से संबधित संक्रियाओं से जिले के बाहर प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो;''

(2) खण्ड 1 में, उप–खण्ड (1) में, पैरा (द) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''**(ध)** ''**न्यास निधि**'' से अभिप्रेत है, जैसा कि नियम 20 में वर्णित है;

(न) सूचीबद्ध संस्था'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्था, जो कि पारदर्शिता प्रकिया के साथ जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद् द्वारा चयनित हो । उक्त संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, हितग्राहियों का चिन्हांकन (प्रत्यक्ष प्रभावित और

अप्रत्यक्ष प्रभावित), परियोजना की निगरानी, न्यास योजनाओं एवं सामाजिक संपरीक्षा के विकास के लिए मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट तैयार करना अंतर्वलित होगा।''

(3) खण्ड 9 में, सारणी में,–

(एक) सरल क्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)
''4क	प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा के 10 सदस्य (कलेक्टर द्वारा नामांकित) (क) प्रत्येक ग्राम सभा से एक महिला सहित कुल दो सदस्य का ही नामांकन किया जायेगा। (ख) खनन क्षेत्र की ग्राम सभा के सदस्यों के अतिरिक्त, समीपस्थ ग्राम सभा के सदस्यों को नामांकन में प्राथमिकता दी जायेगी । (ग) प्रभावित क्षेत्र नगरीय क्षेत्र होने की स्थिति में, स्थानीय नगरीय निकाय के दो सदस्यों का नामांकन किया जायेगा। (घ) अनुसूचित क्षेत्र की दशा में, प्रत्येक न्यास के लिए ग्राम सभा के कुल नामांकित सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों को अनुसूचित जनजाति से नामांकित किये जायेंगे।''	सदस्य

(दो) सरल क्रमांक 21 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''22	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
23	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
24	कार्यपालन अभियंता, केडा	पदेन सदस्य
25	जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पदेन सदस्य''

(4) खण्ड 11 में,–

(एक) उप–खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(1क) वार्षिक कार्य योजना शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी जो कि 5 वर्षीय विजन प्लान पर आधारित होगी, जो किसी जिले/ग्राम सभा से जुड़े प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के सर्वेक्षण पर आधारित हो। प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के चिन्हांकन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण किया जायेगा और आवश्यकतानुसार नागरिक सामाजिक संगठनों की सहायता ली जा सकेगी।''

(दो) उप–खण्ड (2) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परंतु यह कि वार्षिक योजना या बजट से किसी भी विचलन के मामले में, योजना/परियोजना को शासी परिषद् से कार्योत्तर अनुमोदन आगामी 6 माह के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होगा । ऐसे कार्यों का कुल व्यय, न्यास की वार्षिक अपेक्षित प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।"

(तीन) उप–खण्ड (3) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"(3क) सामाजिक संपरीक्षा ऐसे सूचीबद्ध संस्थाओं के माध्यम से कराई जायेगी, जो राज्य में मनरेगा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं/परियोजना के समरूप योजनाओं में सामाजिक संपरीक्षा के लिए राज्य शासन से अधिकृत और शासी परिषद द्वारा अनुमोदित हो।

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया दो चरणों में संपादित होगी। प्रथम चरण, प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकताओं के चिन्हांकन से संबंधित होगा और द्वितीय चरण, आवश्यकताओं से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन और गुणवत्ता से संबंधित होगा।"

(चार) उप–खण्ड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा किया जाये, अर्थात् :–

"(8) जिन जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की वार्षिक प्राप्ति रूपये 25 करोड़ या उससे अधिक हो, ऐसे जिलों के न्यास में सूचीबद्ध संस्था के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं विजन डॉक्यूमेंट हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण एवं सामाजिक संपरीक्षा कराई जायेगी। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की वार्षिक प्राप्ति रूपये 25 करोड से कम होने पर, प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं विजन डॉक्यूमेंट हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण एवं सामाजिक संपरीक्षा, जिलों में उपलब्ध संसाधनों/विशेषज्ञों के माध्यम से कराई जायेगी।"

(5) खण्ड 13 में, तालिका में, सरल क्रमांक 17 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)
"18	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
19	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
20	कार्यपालन अभियंता, क्रेडा	पदेन सदस्य
21	जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पदेन सदस्य"

(6) खण्ड 14 में, उप–खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात्:–

"(3क) न्यास की गतिविधियों के लिए पांच वर्षीय मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट, सूचीबद्ध संस्था द्वारा संपादित सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया जायेगा । मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट का अनुमोदन शासी परिषद द्वारा किया जायेगा। मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट का निरीक्षण व्यवस्थापक के दिशा निर्देश पर किसी भी समय तृतीय

पक्ष द्वारा करवाया जा सकेगा। आगामी वर्ष के लिए वार्षिक योजना प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी ।''

(7) खण्ड 16 में, उप–खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात्:–

''(4) राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।''

(8) खण्ड 17 में, उप–खण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात्:–

''(5) राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था से संबंधित पद संरचना का अनुमोदन करेगी।''

(9) खण्ड 21 में,–

(एक) उप–खण्ड (1) में, शब्द ''प्रभावित क्षेत्र के समग्र विकास हेतु'' के स्थान पर, शब्द ''प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के हित और लाभ तथा समग्र विकास हेतु'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) उप–खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(1क) न्यास निधि में प्राप्त राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर व्यय की जायेगी तथा शेष राशि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर व्यय की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में शासी परिषद के पूर्वानुमोदन से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि व्यय की जा सकेगीः

परन्तु यह कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य लोकहित से संबंधित ऐसी सेवायें/योजना/परियोजना, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों को उपलब्ध कराने हेतु अन्यत्र स्थापित किया जाना उनके बेहतर हित के लिए आवश्यक हो, पर शासी परिषद के अनुमोदन से निधि का उपयोग किया जा सकता हैं। ऐसे कार्यों में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के लोगों पर किया गया मान्य किया जाएगा।''

(तीन) उप–खण्ड (2) में, पैरा (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''पेयजल हेतु सौर उर्जा आधारित परियोजना, वृहद पेयजल योजना/परियोजना में भौगोलिक स्थिति के अनुरूप

आवश्यकतानुसार योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र/अन्य क्षेत्र के ग्रामों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।''

(चार) उप–खण्ड (2) में, पैरा (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''नदी तट एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन वृक्षारोपण, नदी/नालों (नरवा) के संवर्धन/संरक्षण संबंधी कार्य।''

(पांच) उप–खण्ड (2) में, पैरा (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''शासकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के उन्नयन, यथा गहन चिकित्सा ईकाई से संबंधित सुविधाऐं, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना का सृजन एवं सभी आवश्यक उपाय।''

(छः) उप–खण्ड (2) में, पैरा (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के परिवार के सदस्यों को नर्सिंग, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग, विधि, प्रबंधन, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास के लिए विश्व विद्यालय/शासकीय महाविद्यालयों/शासकीय संस्थाओं में शैक्षणिक शुल्क और छात्रावास शुल्क के भुगतान तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग क्लासेस/आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था।''

(सात) उप–खण्ड (2) में, पैरा (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''कृषि उत्पादों के संग्रहण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण इकाई के प्रोत्साहन, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, वनोषधि प्रसंस्करण, कृषि के उन्नत तकनीकों के प्रयोग संबंधी कार्य, पशुओं के नस्ल सुधार, चारे की व्यवस्था, पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्य, गोठान विकास से संबंधित कार्य, मूल्य संवर्धन, फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज, किसान उत्पादक संगठन(एफपीओ) के कार्यों को प्रोत्साहन, किसान बाजार एवं किसानों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधित कार्य, खनन प्रभावित वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार एवं जीविकोपार्जन के उपाय, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी इत्यादि मोटे अनाज,

दलहन–तिलहन का उत्पादन/रकबा बढ़ाने के उपाय, जैविक कृषि को प्रोत्साहन, फलदार वृक्षों का रोपण ।''

(आठ) उप–खण्ड (2) में, पैरा (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''वृद्धजनों के लिए सुविधा विस्तार एवं दिव्यांगों के कौशल विकास सह जीविकोपार्जन हेतु उपाय/कार्यक्रम, दिव्यांगों के लिए सुधारात्मक सर्जरी एवं यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।''

(नौ) उप–खण्ड (2) में, खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(ट) **सतत् जीविकोपार्जन**– प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय के आय एवं जीवन स्तर में सुधार संबंधी उपाय एवं जीविकोपार्जन के विभिन्न उपाय एवं क्षमता निर्माण, ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प, वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार संबंधी कार्य ।

(ठ) उप–नियम (2) से संबंधित कार्यों के लिये, शासन द्वारा स्वीकृत पद–संरचना के अनुरूप मानव संसाधनों जैसे चिकित्सक, पैरामेडिक्स, नर्सों और शिक्षकों आदि की अंतरपूर्ति की व्यवस्था के लिये ।''

(दस) उप–खण्ड (3) में, पैरा (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रो के अंतर्गत भौतिक अधोसंरचना जैसे कि समस्त प्रकार के भवन निर्माण, सड़को, पुलो, रेलमार्गो, जलमार्गो, विमान पत्तनो, औद्योगिक पार्को/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि के लिए न्यास निधि से अधिकतम 20 प्रतिशत राशि उपयोजित की जा सकेगी।''

(ग्यारह) उप–खण्ड (3) में, पैरा (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''लघु सिंचाई परियोजनायें, उद्वहन सिंचाई (सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना सहित), वाटर शेड (जल ग्रहण कार्यक्रम), प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में सतत् सिंचाई सुविधा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। ''

(बारह) उप–खण्ड (3) में, पैरा (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(ड.) **सार्वजनिक परिवहन**– प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों और समितियों के माध्यम से परिवहन सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं का विस्तार।

(च) **सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण**– खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों/निवासियों के मूल सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिये उपाय ।

(छ) **युवा गतिविधियों को बढ़ावा**– खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामाजिक/शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन संबंधित कार्य।

(ज) न्यास निधि के अंतर्गत कियान्वित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं को बनाने और उसकी निगरानी के लिये ग्राम सभाओं की क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण।"

(तेरह) उप–खण्ड (4), (5) एवं (7) का लोप किया जाये।

(10) खण्ड 24 में, उप–खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(1क) जिले में खनन से संबंधित संक्रियाओं, न्यास निधि में प्राप्तियाँ, न्यास निधि से व्यय, हितग्राहियों की सूची, न्यास में प्राप्त प्रस्ताव, न्यास द्वारा स्वीकृत कार्यों और न्यास में प्राप्त शिकायतों के लिये पृथक–पृथक पंजियों का संधारण व्यवस्थापक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार न्यास द्वारा किया जायेगा।"

(11) खण्ड 25 में, उप–खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(6) न्यास के कार्यों की निगरानी, आवश्यक परामर्श, मार्गदर्शन तथा केन्द्र एवं राज्य शासन के साथ समन्वय एवं अन्य आवश्यक कार्यों के संपादन हेतु राज्य स्तर पर जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ हेतु पद–संरचना एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति के अनुमोदन से दी जायेगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्रमांक एफ 7-19/2015/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 14 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 14th August 2019

NOTIFICATION

No. F-7-19/2015/XII.— In exercise of the powers conferred under Section 9B, sub-section (4) of Section 15 and Section 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

1. In rule 2, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) **"Affected Areas/People"** means areas/people affected by mining or mining related operations from a mine or cluster of mines within the District as notified by the Collector and areas/people affected by mining or mining related operations from a mine or cluster of mines beyond the District as notified by the State Government from time to time; "

2. In rule 2, in sub-rule (1), after clause (r), the following shall be inserted, namely:-

"(rr) **"Trust Fund"** means as describe in Rule 20."

3. In rule 2, in sub-rule (1), after clause (s), the following shall be added, namely:-

"(t) "**Empanelled Agency**" shall mean an agency selected by Governing Council of District Mineral Foundation Trust through a transparent process. The agency shall be involved in carrying out survey as per requirement, identification of beneficiaries (directly affected and indirectly affected), project monitoring, preparation of Master plan/ Vision document for the development of trust schemes and social audit."

4. In rule 10, in the table, -

(1) after serial number 4, the following shall be added, namely: -

(1)	(2)	(3)
" 4a	10 members from Gram Sabha of affected area (nominated by the Collector) (a) Only two members, including one woman, will be nominated from each Gram Sabha. (b) In addition to the members of Gram Sabha of the mining areas, preference will be given to members in nomination from adjacent Gram Sabha. (c) In case of affected area being the urban area, two	Member

	members of the urban local body shall be nominated. (d) In case of scheduled area, at least 50 percent of the total nominated member from Gram Sabha for each trust, shall be nominated from Scheduled Tribes."	

(2) after serial number 21, the following shall be added, namely:-

"22	District Planning & Statistics officer	Ex-officio Member
23	Deputy Director Social Welfare	Ex-officio Member
24	Executive Engineer, CREDA	Ex-officio Member
25	Chief Executive Officer of all Janpad Panchayat of the district	Ex-officio Member"

5. In rule 12, -

(1) after sub-rule (1), the following shall be added, namely:-

"(1a) Annual Action Plan shall be approved from the Governing Council shall be based on a 5 years vision plan which should be based on the survey of the needs of the affected areas related to any district/Gram Sabha. The basic survey shall be conducted for identifying the needs of the affected areas and if needed the assistance of civil society organizations may be taken;"

(2) in sub-rule (2), for the first proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that, any deviation from the annual plan or budget, it is necessary to obtain post facto approval on scheme/project from the governing council, within 6 months. Total expenditure of such works should not exceed 10% of the annual expected receipts of the trust. "

(3) after sub-rule (3), the following shall be added, namely: -

"(3a) The social audit shall be conducted by empanelled agencies that are authorised by State Government for conduct of social audit in schemes like MGNREGA and other welfare schemes/projects in the State and approved by governing council.

The process of social audit shall be conducted in two phases. The first phase shall be related to the identification of requirements of the affected area and the second phase shall be related to implementation and quality of the relevant works undertaken."

(4) after sub-rule (7), the following shall be added, namely:-

"(8) In the districts where the annual receipt of district mineral foundation trust is rupees 25 crores or more, such district trusts shall be conducted social audit, identification of the affected area/people and survey as per requirement for making the vision document through the empanelled agency. If, annual receipt of district mineral foundation trust is less than rupees 25 crores, social audit, identification of the affected area/people and survey as per requirement for making vision document shall be done by the resources/ experts available in the district."

6. In rule 14, in the table, after serial number 17, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)
"18	District Planning and Statistics Officer	Ex-officio Member
19	Deputy Director Social Welfare	Ex-officio Member
20	Executive Engineer, CREDA	Ex-officio Member
21	Chief Executive Officer of all Janpad Panchayat of district	Ex-officio Member"

7. In rule 15, after sub-rule (3), the following shall be added, namely:-

"(3a) Five-year Master Plan/Vision Document for activities of the Trust, shall be prepared according to the requirement of affected areas based on survey conducted by Empanelled Agency. The Master Plan/Vision Document shall be approved by Governing Council. Master Plan/Vision Document can be inspected by a third party at any point of time as per the directions of the settlor. The Annual Plan for the upcoming year shall be prepared by the Managing Committee and shall be approved by the Governing council in the last quarter of the financial year."

8. In rule 17, after sub-rule (3), the following shall be added, namely:-

"(4) The State Level Monitoring Committee shall meet atleast once in a year."

9. In rule 18, after sub-rule (4), the following shall be added, namely:-

"(5) Shall approve the setup related to the arrangement of staff for State Level District Mineral Foundation Trust Cell."

10. In rule 22,-

(1) in sub-rule (1), for the words " The overall development of area affected" the words "The interest and benefit and overall development of affected area/people" shall be substituted.

(2) after sub-rule (1), the following shall be added, namely:-

"(1a) At least 50 percent of the funds received in the trust fund shall be spent on directly affected area/people and remaining fund can be spent in the indirectly affected

area/people. In special circumstances, additional 10 percent of fund can be spent on indirectly affected area/people with prior approval of the Governing Council:

Provided that, if it is necessary and in the best interest of directly affected areas/people, Education, Health, and such others services/ schemes/project of public interest could be sanctioned anywhere else, fund may be utilized with prior approval from Governing Council, priority shall be necessary given to people of directly affected area such expenditure shall be treated as incurred on people of directly affected area."

(3) in sub-rule (2), after clause (a), the following shall be added, namely:-

"Solar energy based Drinking water project, in large drinking water schemes/projects village from indirectly affected areas/other areas can be included as per the geographical condition."

(4) in sub-rule (2), after clause (b), the following shall be added, namely:-

"Intensive plantation on river banks and other public places, streams/rivulets (Narwa) improvement and conservation related works"

(5) in sub-rule (2), after clause (c), the following shall be added, namely:-

"Upgradation of health related facilities in government hospitals, such as intensive care related facilities. Creation of infrastructure facilities and all other measures to make health services effective."

(6) in sub-rule (2), after clause (d), the following shall be added, namely:-

"Payment of educational fees and hostel fees in Universities/Government Colleges/ Government Institution for the nursing, medical, education, engineering, law, management, Higher Education, vocational courses, Technical education, skill development and arrangement of coaching classes/training with residential facilities for all competitive exams for family members of the directly affected areas."

(7) in sub-rule (2), after clause (e), the following shall be added, namely:-

"Promotion of collection, storage and processing unit of agriculture produce, food processing, minor forest produce processing, processing of medicinal plant, works related to use of upgradation technique of the agriculture, Cattle breed improvement, fodder development, work of promotion of the animal husbandry, Gothan development, value addition, forward and backward linkages, Farmers' Producer Organization (FPO)

works, kisan bazar, work related to training and capacity building of farmers. Measures to improve the standard of living and livelihood for the mining affected forest rights leaseholders, measures to increase the production / cultivation of coarse cereals, pulses, oilseeds, jowar, millet, maize, kodo kutki etc. and to promote organic farming, plantation of fruit bearing trees."

(8) in sub-rule (2), after clause (g), the following shall be added, namely:-

"Provisions for expansion of facilities for elderly people and skill development and livelihood measure programmes for the disabled, corrective surgeries and equipment/instruments for the disabled."

(9) in sub-rule 2, after clause (j), the following shall be added, namely:-

"(k) **Sustainable livelihood** – works related to measures to improve the income and standard of living of the local community in the directly affected areas, and various measures for livelihood and capacity building, rural industry and handicrafts, measures to improve the standard of living of forest rights holders.

(l) for works related to sub rule (2), for gap filling of human resources such as doctors, paramedics, nurses and teachers, etc. as per the government approved set-up."

(10) in sub-rule (3), after clause (a), the following shall be added, namely:-

"Under the other priority areas, maximum 20 percent of the trust funds can be utilized in physical infrastructure such as construction of all types of building, roads, bridges, railways, waterways, airports, industrial parks/clusters and other industrial infrastructure etc."

(11) in sub-rule (3), after clause (b), the following shall be added, namely:-

"Minor irrigation projects, lift irrigation (including installation of solar power pumps), water shed, priority will be given to work related to sustainable irrigation facilities in the directly affected areas."

(12) in sub-rule (3), after clause (d), the following shall be added, namely:-

"(e) **Public Transport** - expansion of transportation facility projects through individuals and societies of directly affected areas.

(f) **Conservation of Cultural Values**- measures for protection of basic cultural values of the communities and the residents of mining affected areas.

(g) **Promotion of Youth Activities**- Work related to the promotion of social/economic/educational and other activities of the youth of the mining affected areas."

"(h) Training for capacity building of Gram Sabha for making and monitoring of various development schemes to be implemented under the trust fund."

(13) sub-rule (4), (5) and (7) shall be omitted.

11. In rule 25, after sub-rule (1), the following shall be added, namely:-

"(1a) Separate registers shall be maintained by trust according to the prescribed format issued by the Settlor for mining related activities in the districts, receipts of trust funds, expenditures from trust fund, list of beneficiaries, proposals received in trust, works approved by trust and complaints received in trust."

12. In rule 26, after sub-rule (5), the following shall be added, namely:-

"(6) District Mineral Foundation Trust Cell will be constituted at the state level to monitor the functions of trusts, provide necessary consultation, guidance and coordination with Central Government and State Government and perform the other necessary works. The State Government with the approval of the State Level Monitoring Committee shall sanction the set-up and project monitoring unit for the state level District Mineral Foundation Trust cell."

13. In FORM-A,-

(1) in clause 1, in sub-clause (1), for para (b), the following shall be substituted, namely-

" (b) **"Affected Areas/People"** means areas/people affected by mining or mining related operations from a mine or cluster of mines within the District as notified by the Collector and areas/people affected by mining or mining related operations from a mine or cluster of mines beyond the District as notified by the State Government from time to time; "

(2) in clause 1, in sub-clause (1), after para (r), the following shall be added, namely:-

" (s) **"Trust Fund"** means as describe in Rule 20.

(t) "**Empanelled Agency**" shall mean an agency selected by Governing Council of District Mineral Foundation Trust through a transparent process. The agency shall be involved in carrying out survey as per requirement, identification of beneficiaries (directly affected and indirectly affected), project monitoring, preparation of Master plan/ Vision document for the development of trust schemes and social audit."

(3) in Clause 9, in the table, -

(i) after serial number 4, the following shall be added, namely: -

(1)	(2)	(3)
" 4a	10 members from Gram Sabha of affected area (nominated by the Collector) (a) Only two members, including one woman, will be	Member

	nominated from each Gram Sabha. (b) In addition to the members of Gram Sabha of the mining areas, preference will be given to members in nomination from adjacent Gram Sabha. (c) In case of affected area being the urban area, two members of the urban local body shall be nominated. (d) In case of scheduled area, at least 50 percent of the total nominated member from Gram Sabha for each trust, shall be nominated from Scheduled Tribes."	

(ii) after serial number 21, following shall be added, namely:-

"22	District Planning and Statistics Officer	Ex-officio Member
23	Deputy Director Social Welfare	Ex-officio Member
24	Executive Engineer, CREDA	Ex-officio Member
25	Chief Executive Officer of all Janpad Panchayat of the district	Ex-officio Member"

(4) In Clause 11, -

(i) after sub-clause (1), the following shall be added, namely:-

"(1a) Annual Action Plan shall be approved from the Governing Council shall be based on a 5-year vision plan which should be based on the survey of the needs of the affected areas related to any district/Gram Sabha. The basic survey shall be conducted for identifying the needs of the affected areas and if needed the assistance of civil society organizations may be taken."

(ii) In sub-clause (2), for the first proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that, in case of any deviation from the annual plan or budget, it is necessary to obtain post facto approval on scheme/project from the governing council, within 6 months. Total expenditure of such works should not exceed 10% of the annual expected receipts of the trust. "

(iii) after sub-clause (3), the following shall be added, namely: -

"(3a) The social audit shall be conducted by empanelled agencies that are authorized by State Government for conduct of social audit in schemes like MGNREGA and other welfare schemes projects in the State and approved by governing council.

The process of social audit shall be conducted in two phases. The first phase shall be related to the identification of requirements of the affected area and the second phase shall

be related to implementation and quality of the relevant works undertaken."

(iv) after sub-clause (7), the following shall be added, namely:-

"(8) In the districts where the annual receipt of district mineral foundation trust is rupees 25 crores or more, such district trusts shall be conducted social audit, identification of the affected area/people and survey as per requirement for making the vision document through the empanelled agency. If, annual receipt of district mineral foundation trust is less than rupees 25 crores, social audit, identification of the affected area/people and survey as per requirement for making vision document shall be done by the resources/experts available in the district."

(5) in Clause 13, in the table, after serial number 17, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)
"18	District Planning and Statistics officer	Ex-officio Member
19	Deputy Director Social Welfare	Ex-officio Member
20	Executive Engineer, CREDA	Ex-officio Member
21	Chief Executive Officer of all Janpad Panchayat of district.	Ex-officio Member"

(6) in Clause 14, after sub-clause (3), the following shall be added, namely:-

"(3a) Five-year Master Plan/Vision Document For activities of the Trust, shall be prepared according to the requirement of affected areas based on survey conducted by Empanelled Agency. The Master Plan/Vision Document shall be approved by Governing Council. Master Plan/Vision Document can be inspected by a third party at any point of time as per the directions of the Settlor. The Annual Plan for the upcoming year shall be prepared by the Managing Committee and shall be approved by the Governing council in the last quarter of the financial year."

(7) in Clause 16, after sub-clause (3,) the following shall be added, namely:-

"(4) The State Level Monitoring Committee shall meet atleast once in a year."

(8) in Clause 17, after sub-clause (4), the following shall be added, namely:-

"(5) Shall approve the setup related to the arrangement of staff for State Level District Mineral Foundation Trust Cell."

(9) in Clause 21,-

(i) in sub-clause (1), for the words "The overall development of area affected", the words "For the interest and benefit and overall development of affected area/people" shall be substituted.

(ii) after sub-clause (1), the following shall be added, namely:-

"(1a) At least 50 percent of the funds received in the trust fund shall be spent on directly affected area/people and remaining fund can be spent in the indirectly affected area/people. In special circumstances, additional 10 percent of fund can be spent on indirectly affected area/people with prior approval of the Governing Council:

Provided that, if it is necessary and in the best interest of directly affected areas/people, Education, Health, and such others services/schemes/project of public interest could be sanctioned anywhere else, fund may be utilized with prior approval from Governing Council, priority shall be necessary given to people of directly affected area such expenditure shall be treated as incurred on people of directly affected area."

(iii) in sub-clause (2), after para (a), the following shall be added, namely:-

"Solar energy based Drinking water project, in large drinking water schemes/projects village from indirectly affected areas/other areas can be included as per the geographical condition."

(iv) in sub-clause (2), after para (b), the following shall be added, namely:-

"Intensive plantation on river banks and other public places, streams/rivulets (Narwa) improvement and conservation related works"

(v) in sub-clause (2), after para (c), the following shall be added, namely:-

"Upgradation of health related facilities in government hospitals, such as intensive care related facilities. Creation of necessary infrastructure and all other measures to make health services effective."

(vi) in sub-clause (2), after para (d), the following shall be added, namely:-

"Payment of educational fees and hostel fees in Universities/Government Colleges/ Government Institution for the nursing, medical, education, engineering, law, management, Higher Education, vocational courses, Technical education, skill development and arrangement of coaching classes/training with residential facilities for all competitive exams for family members of the directly affected areas."

(vii) in sub-clause (2), after para (e), the following shall be added, namely:-

"Promotion of collection, storage and processing unit of agriculture produce, food processing, minor forest produce processing, processing of medicinal plant, works related to use of upgradation technique of the agriculture. Cattle breed improvement, fodder development, works of promotion of the animal husbandry, Gothan development, value addition, forward and backward linkages, Farmers' Producer Organization (FPO) works, kisan bazar, works related to training and capacity building of farmers, measures to improve the standard of living and livelihood for the mining affected forest rights leaseholders, measures to increase the production / cultivation of coarse cereals, pulses, oilseeds, jowar, millet, maize, kodo kutki etc. and to promote organic farming, plantation of fruit bearing trees."

(viii) in sub-clause (2), after para (g), the following shall be added, namely:-

"Provisions for expansion of facilities for elderly people and skill development and livelihood measure programmes for the disabled, corrective surgeries and equipment/instruments for the disabled."

(xi) in sub-clause (2), after para (j), the following shall be added, namely:-

"(k) **Sustainable livelihood** – Works related to measures to improve the income and standard of living of the local community in the directly affected areas, and various measures for livelihood and capacity building, rural industry and handicrafts, measures to improve the standard of living of forest rights holders.

(l) for works related to sub-clause (2), for gap filling of human resources such as doctors, paramedics, nurses and teachers, etc. as per the government approved set-up."

(x) in sub-clause (3), after para (a), the following shall be added, namely:-

"Under the other priority areas, maximum 20 percent of the trust funds can be utilized in physical infrastructure such as construction of all types of building, roads, bridges, railways, waterways, airports, industrial parks/clusters and other industrial infrastructure etc."

(xi) in sub-clause (3), after para (b), the following shall be added, namely:-

"Minor irrigation projects, lift irrigation (including installation of solar power pumps), water shed, priority will be

given to work related to sustainable irrigation facilities in the directly affected areas."

(xii) in sub-clause (3), after para (d), the following shall be added, namely:-

"(e) **Public transport** - expansion of transportation facility projects through individuals and societies of directly affected areas.

(f) **Conservation of cultural values**- measures for protection of basic cultural values of the communities and the residents of mining affected areas.

(g) **Promotion of youth activities**- Work related to the promotion of social/economic/educational and other activities of the youth of the mining affected areas."

(h) Training for capacity building of Gram Sabha for making and monitoring of various development schemes to be implemented under the trust fund."

(xiii) sub-clause (4), (5) and (7) shall be omitted.

(10) in Clause 24, after sub-clause (1), the following shall be added, namely:-

"(1a) Separate registers shall be maintained by trust according to the prescribed format issued by the Settlor for mining related activities in the districts, receipts of trust funds, expenditures from trust fund, list of beneficiaries, proposals received in trust, works approved by trust and complaints received in trust."

(11) in Clause 25, after sub-clause (5), the following shall be added, namely:-

"(6) District Mineral Foundation Trust Cell will be constituted at the state level to monitor the functions of trusts, provide necessary consultation, guidance and coordination with Central Government and State Government and perform the other necessary works. The State Government with the approval of the State Level Monitoring Committee shall sanction the set-up and project monitoring unit for the state level District Mineral Foundation Trust cell."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.